कार्यालय,अनुमंडल पदाधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

अति अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–NPC-01/2016-17

वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार रॉची के द्वारा शहरी स्थानीय निकायो को नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत कार्य हेतु उपायुक्त, पलामू को आवंटन प्राप्त है। उपायुक्त, पलामू के आदेश संख्या 270/नजा0, दिनांक 10.12.2016 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपावंटित है। जिसके अन्तर्गत नागरिक सुविधा हेतु कार्य किया जाना है।

अतः इच्छुक निर्माणकर्त्ता/अधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता सिलबंद लिफाफे में अपना निविदा दिनांक 27.01.2017 को 2:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय अपर समाहर्त्ता, पलामू में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 27.01.2017 को 3:00 बजे अपराह्न में अपर समाहर्त्ता, पलामू के कार्यालय वेश्म में जिला निविदा/क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। उपकरण/यंत्र निम्नवत है:–

1. विभाग का नाम :– नगर विकास एवं आवास विभाग,झारखण्ड, रॉची।
2. विज्ञापनदात्ता का नाम :– अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर।
3. निविदा प्राप्ति का स्थान :–अपर समाहर्त्ता, पलामू के कार्यालय में।
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :–दिनांक 27.01.2017 को समय 2:00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :–दिनांक 27.01.2017, को 3:00 बजे अपराह्न,अपर समाहर्त्ता, पलामू के कार्यालय वेश्म में।

Sl	Name of machine/Equipments	Details/Basic specification	Qty	Earnest money (Rs.)	Time of Delivery	Remarks
1.	Water Tanker Capacity 3000 Ltr. with Two Wheel Tyre of Reputed Branded Company.	Water Tank Steel Sheet 10 Gage Size of Tyre- 7:50-16	2	10000/-	15 Days	तृतीय प्रकाशन

उपर्युक्त दर्शायी गई यंत्र/उपकरण के निविदा की शर्तो को अनुमंडल कार्यालय, छतरपुर के सूचना पट एवं NIC पलामू के website:- www.palamu.nic.in पर देखा जा सकता है।

P.R.- 154260(District)2016-17

अनुमंडल पदाधिकरी,
छतरपुर(पलामू)।

निविदा की शर्त्तें, (सूचना संख्या NPC-01/2016-17)

1. निविदादात्ता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग देना होगा। तकनीकी निविदा में सफल होने पर वितीय लिफाफा खोला जायेगा। निविदादाता पहले तकनीकी निविदा संबंधी दस्तावेजों को एक लिफाफे में सीलबंद करेंगे तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे को अलग करेंगे। दोनों लिफाफे को पुनः एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद करेंगे। प्रत्येक लिफाफे पर उसमें रक्षित कागजातों यथा–वित्तीय अथवा तकनीकी अंकित करेंगे।
2. निविदादात्ता को निविदा बैंक ड्राफ्ट या राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र/बैंकर्स चेक अग्रधन के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, छतरपुर में देय होगा, जो बाद मे वापस कर दिया जाएगा **अथवा** अवैध आचरण करने पर जप्त भी किया जा सकता है।
3. निविदादाता को कलर कैटलॉग एवं उपकरण/यंत्र के विशिष्टियों (Specification of Equipments)का विस्तृत विवरणी प्रस्तुत करनी होगी तथा अधिकृतविक्रेता प्रमाण–पत्र देना होगा।
4. निविदादाता को झारखण्ड राज्य के वाणिज्य कर द्वारा निबंधन प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, अपडेट आयकर रिटर्न एवं वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण–पत्र देना होगा।
5. आपूर्तिकर्ता को उपस्करों/सामग्रियों से संबंधित दर (सभी करों सहित) अंकित करना होगा।
6. निविदादाता को मजिस्ट्रेट/नोटरी.पब्लिक से इस बात का शपथ–पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/कम्पनी काली सूची में या रूग्न अवस्था में नहीं है तथा हर प्रकार का आरोपों एवं सभी प्रकार के सरकारी जॉचो से मुक्त है।
7. निविदादाता को अपने परिवहन व्यय पर उपकरण/यंत्र को अनुमंडल कार्यालय,छतरपुर में पहुॅचाना होगा, इसके लिए अलग से कोई परिवहन या हथालन राशि भुगतान अनुमंडल कार्यालय,छतरपुर द्वारा नहीं किया जायेगा, साथ ही सामग्री आपूर्ति के पश्चात् सामग्रियों के विशिष्टियों का प्रदर्शन दिखाना होगा।
8. आपूर्तिकर्त्ता/विक्रेता/निर्माणकर्त्ता के द्वारा उपकरण/यंत्रका गारंटी/वारंटी प्रमाण–पत्र देना होगा।
9. मोहर बंद लिफाफे पर आपूर्तिकर्ता का नाम, पता उपकरण/यंत्रका नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा।
10. बिना कारण बतायें किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।
11. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगा एवं संबंधित विवाद का निपटारा स्थानीय न्यायालय में होगा।
12. निविदा प्रस्तुत/स्वीकृति के उपरांत जाली/असत्य दस्तावेज पाये जाने पर अथवा निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर स्वीकृत निविदा को कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा के साथ जमा अग्रधन/जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।
13. उच्च गुणवता एवं अधिक कार्य कुशलता वाले ब्रॉण्डेड उत्पाद को उच्च प्राथमिकता होगी।
14. निविदादाता को सभी सामग्री 15 दिनों के अंदर आपूर्ति करना होगा।
15. निविदादाता को सभी ग्रुप का अलग–अलग लिफाफा देना होगा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
छतरपुर(पलामू)।